

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

:: अधिसूचना ::

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक सितम्बर, 2021

क्रमांक एफ 20-87/2019/11/6 : चूंकि, राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20-01/2019/11/(6) दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 एवं क्रमांक एफ 20-01/2019/11/(6) दिनांक 22 मई 2021 से औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट-2, उच्च प्राथमिकता उद्योगों की सूची तथा परिशिष्ट-3, प्राथमिकता उद्योगों की सूची में संशोधन किये जाने के फलस्वरूप इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 05 दिसम्बर 2019 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, अर्थात् :-

संशोधन

(एक) समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 दिसंबर, 2019 की कंडिका क्र. 1.1 उच्च प्राथमिकता उद्योग (औद्योगिक नीति 2019-24 का परिशिष्ट-2) की तालिका में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं :-

(1) अधिसूचना के बिन्दु क्रमांक 7 को अधिसूचना क्रमांक एफ 20-01/2019/11/(6) दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 के माध्यम से हुये संशोधन के आधार पर दिनांक 22 मई, 2021 से निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है।

(2) अधिसूचना तालिका में बिन्दु क्रमांक 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 एवं 27 पर अधिसूचना क्रमांक एफ 20-01/2019/11/(6) दिनांक 22 मई, 2021 के माध्यम से हुये संशोधन के आधार पर दिनांक 22 मई, 2021 निम्नानुसार जोड़ा जाता है :-

1.1 उच्च प्राथमिकता उद्योग (औद्योगिक नीति 2019-24 का परिशिष्ट-2) -

क्र.	विवरण	प्लांट एवं मशीनरी मद में पूंजी निवेश की न्यूनतम निर्धारित सीमा (राशि रु. लाख में)
7.	टेक्सटाईल उद्योग (स्पिनिंग, वीविंग, पावरलूम, फेब्रिक्स एवं रेडिमेड गारमेंट्स व अन्य प्रक्रिया) (नॉन वोवन फेब्रिक बैग्स को छोड़कर)	140.00
16.	भारत सरकार से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप इकाईयां (प्लांट एवं मशीनरी मद में पूंजी निवेश की कोई न्यूनतम सीमा नहीं होगी)	निरंक

18.	मेडिकल एवं लेबोरेटरी इक्वूपमेंट	70.00
19.	मेडिकल ग्रेड आक्सीजन गैस (लिक्विड एवं गैसीयस माध्यम से)	100.00
20.	आक्सीजन गैस सिलेण्डर	70.00
21.	आक्सीजन कन्सनट्रेटर	50.00
22.	क्रायोजेनिक गैस टैंकर	70.00
23.	फेस मास्क, नॉन रिब्रिडर मास्क, आक्सीजन फ्लो मीटर, नेसल केन्यूला आदि	50.00
24.	नॉन इन्वेसीव वेन्टिलेटर, इन्वेसीव वेन्टिलेटर,	200.00
25.	सर्जिकल दस्ताने, पी.पी.ई. किट, ओवर ऑल बॉडी प्रोटेक्टर	200.00
26.	कोविड व अन्य संक्रामक बीमारियों के टेस्ट में उपयोग में लाये जाने वाले उपकरण, फॉर्मास्युटिकल्स, बीमारियों से संबंधित स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी उपकरण एवं दवाएं।	500.00
27.	टीका बनाने के उपकरण, RT-PCR Test, True-nat Test, Antigen Test, के लिए आवश्यक Reagents.	500.00

(दो) समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 दिसंबर, 2019 की कंडिका क्र. 1.2 प्राथमिकता उद्योग (औद्योगिक नीति 2019-24 का परिशिष्ट-3) (अ) वर्गीकरण के आधार पर, की तालिका के बिन्दु क्रमांक 10, मेडिकल एवं लेबोरेटरी इक्वूपमेंट को अधिसूचना क्रमांक एफ 20-01/2019/11/(6) दिनांक 22 मई, 2021 से विलोपित किया जाता है।

(तीन) समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 दिसंबर, 2019 की कंडिका क्र. (4) में विद्यमान प्रावधान के पश्चात् द्वितीय पैरा के तहत निम्नानुसार प्रावधान अधिसूचना क्रमांक एफ 20-01/2019/11/(6) दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 से जोड़ा जाता है :-

“भारत सरकार से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप इकाईयों को उच्च प्राथमिकता उद्योग की श्रेणी के तहत औद्योगिक निवेश आर्थिक प्रोत्साहन प्राप्त किये जाने हेतु पृथक से उच्च प्राथमिकता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसी इकाईयों को औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट 6.21 के अधीन उच्च प्राथमिकता उद्योग की भांति औद्योगिक निवेश आर्थिक प्रोत्साहन प्राप्त होंगे।”

समसंख्यक अधिसूचना की शेष कंडिकाएं यथावत रहेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

प्रतिलिपि:-

1. संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय, उद्योग भवन, रायपुर ।
2. प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी, उद्योग भवन, रायपुर ।
3. नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि उपर्युक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रित करवाकर 250 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध करायें।
4. समस्त मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र
.....(छ.ग.)



प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग